



2026:AHC:3457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19697 वर्ष 2025

मनीष कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सुदर्शन सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी. के. श्रीवास्तव के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सहायक ऑपरेटर सीधी भर्ती, 2022 के तहत भर्ती के लिए आवेदन किया था। हालांकि उसका चयन हो गया था, लेकिन उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है, इस आधार पर कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 34, 352, 504, 506 के तहत एक आपराधिक मामला लंबित है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पेपर बुक के पृष्ठ-98 की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की सिफारिश की है।
4. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चाहे कुछ भी हो, याचिकाकर्ता के दावे पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रथम दृष्ट्या विचार किया जाना आवश्यक है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।



6. विरोधी पक्षों की निवेदनो और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एससीसी 471 के फैसले को प्रतिवादी संख्या 6- पुलिस अधीक्षक, जिला बलिया के समक्ष रखा जाए, जिसे आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का विधिवत रूप से निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि छठे प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें भेजे जाएंगे।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)